Sagar
Chhat

10

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 3476—दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 25—08—12 पारित आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 05/अ—5/2007—08 निगरानी.

1— दयाशंकर पुत्र राजकुमार ब्राम्हण
2— विनयशंकर पुत्र राजकुमार ब्राम्हण
दोनों निवासी ग्राम हथौहा, तह0 लोड़ी,
जिला छतरपुर, म0प्र0
3— भाऊराम तनय जगन्नाथ ब्राम्हण
नि0 त्रिवेणी जिला बांदा, उ0प्र0

——— आवेदकगण

विरूध्द

1— केदार प्रसाद तनय हरप्रसाद निगम
2— हीरालाल तनय बाबूलाल बाजपेयी
दोनों निवासी ग्राम हथोहा, तह0 लोड़ी,
जिला छतरपुर, म0प्र0

—— अनावेदकगण

श्री अनिल कुमार पाठक, अभिभाषक — आवेदकगण
श्री के0एस0निगम, अभिभाषक— अनावेदकगण

<u>आदेश</u>

(आज दिनांक 29.5. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त,

सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 05/अ–5/2007–08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25–08–12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकगण दयाशंकर एवं विनयशंकर ने इस आशय का आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया कि मौजा खरावा स्थित भूमि ख0नं0 224/6/3 रकबा 4.857 हे. के 1/3 हिस्सा उनके नाम दर्ज है। इस भूमि की नक्शे में तरमीम नहीं है। अतः उन्होंने नक्शा तरमीम करने का अनुरोध किया। नायब तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबध्द कर राजस्व निरीक्षक से तरमीम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अपने आदेश दिनांक 10–03–04 व्दारा तरमीम की स्वीकृति प्रदान की। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत अपील अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 19–4–05 व्दारा खारिज की। अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने पर अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 29–6–07 व्दारा निगरानी स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि सभी हितबध्द पक्षकारों की उपस्थिति में तरमीम की कार्यवाही करायी जाय। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूध्द प्रस्तुत निगरानी आयुक्त, सागर संभाग ने अपने आदेश दिनांक 25–08–12 व्दारा खारिज की। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि राजस्व निरीक्षक व्दारा विधिवत कार्यवाही कर तरमीम प्रस्ताव तहसील में प्रस्तुत किया गया। तहसील न्यायालय में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने से प्रस्तावित तरमीम प्रतिवेदन को स्वीकार किया है। उनका तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण व्दारा अपील प्रस्तुत की गयी थी। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील में पारित आदेश के विरूध्द संहिता में व्दितीय अपील का

प्रावधान है, इसलिये अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रचलन योग्य नहीं थी। अपर कलेक्टर व्दारा आदेश पारित करते समय इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और निगरानी स्वीकार की गयी है। विव्दान आयुक्त व्दारा भी इस विधि संबंधी तर्क को नहीं मानने में भूल की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि के 1/3 हिस्से के भूमिस्वामी है, किन्तु राजस्व निरीक्षक व्दारा नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व अनावेदकगण को कोई सूचना दी गयी और उनके पीठ–पीछे नक्शा तरमीम की कार्यवाही की गयी है जिसे अपर कलेक्टर व्दारा निरस्त करने में कोई गलती नहीं की है। उनका यह भी तर्क है कि अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने संबंधी आपत्ति आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत नहीं की गयी, इसलिये इसे अमान्य करने में आयुक्त व्दारा कोई गलती नहीं की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि निगरानीकर्त्ता/अनावेदकगण को प्रकरण में किस भी प्रकम में सूचित नहीं किया गया। पंचनामें पर भी निगरानीकर्त्ता/अनावेदकगण के हस्ताक्षर नहीं हैं और ना ही स्थल जॉच दिनांक 12–04–03 को मौके पर उपस्थित होने हेतु उसे कोई सूचनापत्र ही जारी किया गया है। मैंने नायब तहसीलदार के प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया। हल्का पटवारी व्दारा दिनांक 12–4–03 को मौके पर उपस्थित होने हेतु सूचनापत्र जारी करने का कोई प्रमाण तहसील न्यायालय के अभिलेख में नहीं है। तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 19(25) पर हल्का पटवारी व्दारा खसरा नं0 224 के समस्त बंटान, रकबा व उनके भूमिस्वामियों के नाम अंकित किये हैं, किन्तु उन्हें सूचनापत्र जारी नहीं किया गया। राजस्व निरीक्षक ने भी अपने प्रतिवेदन में

यह अंकित किया है कि आ.नं. 224/1, 224/2, 224/3, 224/5, 224/4/4/2/2, 224/4 एवं 224/6/4/1 की तरमीम नक्शे में नहीं बनाई गई है क्योंकि रकबा शेष नहीं बचता है। कुल 1.909 हे. रकबा नक्शे में कम है। ऐसी दशा में तहसील न्यायालय को नक्शा तरमीम प्रस्ताव स्वीकृत करने के पूर्व समस्त हितग्राही व्यक्तियों को सूचनापत्र जारी कर सुनवायी का अवसर प्रदान करना चाहिये था। हितग्राही व्यक्तियों को बिना सूचना दिये नक्शा तरमीम प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जाने व उसे स्वीकार किये जाने से अपर कलेक्टर व्दारा उसे निगरानी में निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपील का गुण–दोष पर निराकरण नहीं किया गया है तथा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं होने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी, इसलिये आयुक्त, सागर संभाग के आदेश में हस्तक्षेप का पर्याप्त आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। आयुक्त का आदेश दिनांक 25–08–12 व अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 29–06–07 यथावत रखे जाते हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0